संलग्नक - 11

संख्याT 2506/38-3-99-500 (1)/98 टी0सी0

प्रेषक,

विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन
ग्राम्य विकास विभाग।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास विभाग अनु-3 लखनऊः दिनांकः 28 जून, 1999

विषय :: ''विधायक निधि'' के मार्गदर्शी सिद्धान्त के दृष्टान्त सूची-1 के अतिरिक्त बिन्दु 21 में नॉव क्रय किये जाने को सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-456; 1द्ध /38-3-99-300 (1) /98 दिनांक 22.12.98 द्वारा ''विधायक निधि'' योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया गया था और इस निमित्त वित्तीय वर्ष 1998-99 में शासनादेश 30.01.99, 08.02.99 तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में शासनादेश दिनांक 3.4.99 द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट 1 पर अंकित विधायक निधि के अर्न्तगत कराये जा सकने वाले दृष्टान्त सूची में शासन ने सम्यक विचारोपरान्त 21वें बिन्दु के रूप में विधायक निधि के अन्तर्गत गॉव पंचायतो के द्वारा नॉव क्रय किये जाने का निर्णय लिया है। तद्नुसार बिन्दु 21वें के रूप में निम्न सूची जोडी जायें।

'' यदि सम्भावित बाढ के सन्दर्भ में कोई विधायक ''विधायक निधि'' की धनराशि में नॉव क्रय करना चाहें तो इसकी अनुमति प्रदान की जाये''।

तद्नुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा समय-समय पर जारी इस निमित्त जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

भवदीय

(अनिल संत)
विशेष सचिव

संख्या-2506/38-3-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी / मा0 राज्य मंत्रीजी के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अनिल संत)
विशेष सचिव